UPJB010018942021

Presented on : 02-06-2021
Registered on : 02-06-2021
Decided on : 17-09-2022
Duration : 1 years, 3 months, 15 days

IN THE COURT OF
Additional District and Sessions Judge / Special Judge (POCSO Act) - 1
AT ,Jyotiba Phule Nagar (Amroha)
(Presided Over by SUSHRI KAPILA RAGHAV)
Sessions Case/237/2021

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012), प्रथम, अमरोहा

पीठासीन अधिकारीः— डॉ0 कपिला राघव ——————— (एच0जे0एस0)

विशेष दाण्डिक वाद संख्या—237/2021

सरकार ————————— अभियोजक

बनाम

अफजल पुत्र मौहम्मद अहमद निवासी मौ0 मंगलपुरा सरायतरीन थाना हयातनगर जिला सम्भल ————————— अभियुक्त

मु0अ0सं0—139/2021
धारा—363,366,354,506 भा0द0सं0
धारा 7/8 लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
व धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश
थाना—हसनपुर, जिला अमरोहा।

निर्णय

मु0अ0सं0—139/2021, धारा363,366,354,506 भा0द0सं0 थाना हसनपुर, जिला अमरोहा, के मामले में पुलिस थाना द्वारा अभियुक्त **अफजल** के विरूद्व आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया अभियुक्त के विरूद्व प्रेषित आरोपपत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया और अभियुक्त को उक्त अपराध के विचारण हेतु आहूत किया गया। अभियुक्त के न्यायालय उपस्थित आने पर अभियुक्त को अभियोजन प्रपत्रो की नकले प्रदान की गयी तथा अभियुक्त के विरूद्व विशेष दाण्डिक वाद सं0 237/2021 सरकार बनाम अफजल पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त का उक्त प्रकरण में विचारण प्रारम्भ किया गया।

भा0द0वि0 की धारा 228क में दिये गये विधिक उपबंध के आधार पर व लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम की धारा 33 की उप धारा (7) में अन्वेषण एवं विचारण के दौरान बालक की पहचान प्रकट किये जाने का विरोध किया गया है। अधिनियम की धारा 33 की उप धारा 7 इस प्रकार है :—'' *विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि अन्वेषण या विचारण के दौरान किसी समय*

Digitally signed by KAPILA RAGHAV
Date: 2022.09.19 11:58:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

WWW.LIVELAW.IN

बालक की पहचान प्रकट नहीं की जाए। '' इस प्रकार उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय की राय है कि प्रस्तुत प्रकरण की पीड़िता जो कि वादी मुकदमा की पुत्री है, का नाम उजागर किया जाना उचित नहीं है। अतः सुविधा की दृष्टि से उसे आगे पीड़िता कहकर सम्बोधित किया जायेगा ।

सक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा शरद कुमार ने लिखित तहरीर थानाध्यक्ष हसनपुर को प्रस्तुत कर कथन किया है कि '' वादी का ग्राम सिंहाली जागीर थाना हसनपुर में गौरव नर्सरी के नाम से नर्सरी का व्यापार है। उसके नर्सरी में तहरीर देने के करीब एक माह पहले एक लड़का अफजल किराये की गाड़ी पर नर्सरी लोड करके ले गया था। उस दिन उसके नर्सरी पर उसकी पत्नी और बच्चे घुमने आये थे। रोजाना की तरह उसकी लड़की पीड़िता अपनी मां पारूल के साथ सोई थी। दिनांक 02.04.2021 को उसकी पत्नी की ऑख सुबह 5.00 बजे खुली तो उसकी लड़की गायब थी। उसकी पत्नी ने उसे उठाकर उसे बताई तो उसने अपने भाई प्रदीप कुमार और भतीजे को लेकर अपनी लड़की को नर्सरी के आस पास तलाश किया तो वह नहीं मिली। रास्ते में फैसल, शब्बु व सुभाष ने बताया कि तुम्हारी लड़की को चार लोगों के साथ देखा जिसमें दो महिला भी थी, परन्तु उन्होंने इसलिए नहीं रोका कि लड़की व सारे लोग घुमने जा रहे होंगे। वादी ने अपनी लड़की को अपने सभी रिश्तेदारों में तलाश किया, परन्तु कोई पता नहीं चला। वादी को विश्वास है कि उसकी लड़की पीड़िता उम्र 16 वर्ष को अभियुक्त अफजल व उसके परिवार के लोगों ने घर्मातरण करने के उद्देश्य से अपहरण कर लिया है और उसकी पुत्री अफजल व उसके परिवार के चंगुल में फंसी है। वे लोग उससे डरा धमका कर कुछ भी करा सकते हैं।

वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के आधार पर थाने में मु.अ.सं. 139/21 अन्तर्गत धारा 363,366 भा.दं.सं. व धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश बनाम अफजल व अज्ञात–1 के नाम मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा उसका इंद्राज रोजनामचा आम में किया गया तथा विवेचक द्वारा विवेचना ग्रहण करने के पश्चात वादी मुकदमा की निशांदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शानजरी तैयार किया गया और पीड़िता बरामद हुई तथा पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया तथा पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 164 दं.प्र.सं. अंकित कराया गया तथा गवाहान के बयान अंकित किये गये तथा गवाहान के बयान के पश्चात प्रर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्त अफजल के विरूद्व आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 363,366,354,506 भा.दं.सं. व धारा 7/8 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 व धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया ।

अभियुक्त अफजल के विरूद्व न्यायालय द्वारा धारा 363,366,354,506 भा.दं.सं. व धारा 7/8 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 व धारा

WWW.LIVELAW.IN

3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोपित आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0–1 शरद कुमार वादी मुकदमा, पिता पीड़िता पी0डब्लू0–2 सोनम राठी, नकल चिक व जी.डी. लेखक, पी0डब्लू0–3 परवेन्द्र सिंह, प्रधानाचार्य विश्व बन्धु एकैडमी, गजरौला, अमरोहा, पी0डब्लू0–4 डॉ0 पल्लवी गंगवार पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षणकर्ती, पी0डब्लू0–5 गजेन्द्र पाल सिंह, उ0नि0 विवेचक व पी0डब्लू0–6 पीड़िता को परीक्षित कराया गया है। अभियोजन द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी तथा अपनी साक्ष्य समाप्त की गयी तथा अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. अभिलिखित किया गया।

अभियुक्त ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में स्वयं को निर्दोष होना बताते हुये उसके विरूद्ध झूंठी रिपोर्ट लिखाये जाना व रंजिशन गलत मुकदमा चलाये जाना बताया है तथा सफाई में साक्ष्य में डी0डब्लू0–1 मौहम्मद फैजान, डी0डब्लू0–2 महमूद हसन को परीक्षित कराया गया।

विद्वान विशेष अभियोजन अधिकारी व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किया।

अभियोजन की ओर तर्क प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया है कि अभियुक्त ने वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री को धर्मातरण करने के उद्देश्य से बहला फुसलाकर उसके साथ विवाह करने, अयुक्त संभोग करने के आशय से व्यपहरण कर उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए लैगिंक हमला किया तथा पीड़िता को दूसरे धर्म संपरिवर्तन के लिए उत्प्रेरित किया तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देकर भयक्रांत किया। अभियुक्त द्वारा पीड़िता को धोखा देकर विवाह धर्म परिवर्तन कराकर करने हेतू ले जाया है जोकि लव जिहाद का मामला है। अभियोजन ने पीड़िता को घटना के समय नाबालिग होना साबित किया है। चिकित्सकीय साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन होता है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण मय पीड़िता के मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियोजन की ओर से अभियुक्त को कठोर दण्ड से दंडित किये जाने की याचना की है।

बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त निर्दोष है। उसके द्वारा घटना कारित नहीं की गयी है। उसे रंजिशन फंसाया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षित कराये गये तथ्य के साक्षीगण हितबद्व साक्षीगण है। ऐसी स्थिति में वादी मुकदमा एवं पीड़िता का बयान विश्वसनीय नहीं है। चिकित्सकीय साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है। अभियुक्त घटना के समय किसी अन्य स्थान पर मौजूद था। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्त को

WWW.LIVELAW.IN

उसके ऊपर लगाये गये आरोपों से दोष मुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

मैनें उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का सम्यक् अवलोकन किया ।

प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा ने दिनांक 02.04.202 को समय 5.00 बजे सुबह घटित घटना की रिपोर्ट उसी दिन दिनांक 02.04.2021 समय 19.07 बजे थाना हसनपुर में पंजीकृत करायी है। पी0डब्लू0–1 वादी शरद कुमार ने अपने बयान में तहरीर प्रदर्श क–1 को साबित किया है। पी0डब्लू0–2 के रूप में महिला आरक्षी सोनम राठी को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपने सशपथ बयान में वादी मुकदमा द्वारा दाखिल तहरीर के आधार पर इस मुकदमें की चिक एफ.आई.आर. पर मु.अ.सं0. **139/2021** धारा 363,366 भा.दं.सं. व धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश बनाम अफजल समय 19.07 बजे पंजीकृत किया जाना तथा उसका खुलासा उसने नकल जी.डी. सं0 62 समय 19.07 बजे किया जाना बताया है। उक्त साक्षी ने चिक एफ.आई.आर. को प्रदर्श क–2 एवं नकल जी.डी. को प्रदर्श क–3 के रूप में सिद्व किया है। इस प्रकार वादी मुकदमा ने घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन लगभग 13 घण्टे बाद थाने पर अंकित करायी है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वादी मुकदमा ने घटना की रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी है और तहरीर में विलम्ब का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा ने तहरीर दिनांक 02.04.2021 में कथन किया गया है कि दिनांक 02.04.2021 को उसकी पत्नी की ऑख सुबह 5.00 बजे खुली तो उसकी लड़की गायब थी। उसकी पत्नी ने उसे उठाकर उसे बताई तो उसने अपने भाई प्रदीप कुमार और भतीजे को लेकर अपनी लड़की को नर्सरी के आस पास तलाश किया तो वह नहीं मिली। रास्ते में फैसल, शब्बु व सुभाष ने बताया कि उसकी लड़की को चार लोगों के साथ देखा जिसमें दो महिला भी थी, परन्तु उन्होंने इसलिए नहीं रोका कि लड़की व सारे लोग घुमने जा रहे होंगे। वादी ने अपने सभी रिश्तेदारों में तलाश किया, परन्तु कोई पता नहीं चला। वादी को विश्वास है कि उसकी लड़की पीड़िता उम्र 16 वर्ष को अभियुक्त अफजल व उसके परिवार के लोगों ने घर्मातरण करने के उद्देश्य से अपहरण कर लिया है और उसकी पुत्री अफजल व उसके परिवार के चंगुल में फंसी है। सामान्यतः ऐसे मामलों में लोक लाज के डर से थाने पर अभियोग पंजीकृत कराने के स्थान पर व्यक्ति अपर्हता को ढूँढने का प्रयास करता है वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण की रिपोर्ट घटना के दिन ही अपनी पुत्री को तलाश करने पर ना मिलने पर अंकित करायी गयी है। अतः अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त अफजल के विरूद्व कुछ अंतराल के पश्चात लिखाये जाने का पर्याप्त स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है। अतः अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में कोई

WWW.LIVELAW.IN

बल नहीं है।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त के विरूद्व यह आरोप है कि अभियुक्त ने दिनांक 02.04.2021 को वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री को धर्मातरण करने के उद्देश्य से बहला फुसलाकर उसके साथ विवाह करने, अयुक्त संभोग करने के आशय से व्यपहरण कर उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए लैगिंक हमला किया तथा तथा पीड़िता को दूसरे धर्म संपरिवर्तन के लिए उत्प्रेरित किया तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देकर भयक्रांत किया। अभियुक्त के विरूद्व धारा 363,366,354,506 भा.दं.सं. व धारा 7/8 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 व धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश के अन्तर्गत आरोप लगाया गया हैं। अतः ऐसी स्थिति में न्यायालय को सर्वप्रथम यह तय करना है कि पीडिता घटना की तिथि दिनॉक 02.04.2021 को अल्प वयस्क थी अथवा नहीं ? वर्तमान प्रकरण भा0दं0सं0 के अतिरिक्त पाक्सो अधिनियम से भी संबंधित है जिस कारण सर्वप्रथम अभियोजन पर यह भार है कि वह पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम होना संदेह से परे साबित करें।

इस संदर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का भली भॉति परिशीलन किया गया । प्रस्तुत प्रकरण में पीडिता की उम्र को साबित करने के लिये अभियोजन की ओर पी0डब्ल्यू0–1 शरद कुमार वादी मुकदमा, पी0डब्लू0–3 परवेन्द्र सिंह प्रधानाचार्य, पी0डब्लू–5 गजेन्द्र पाल शर्मा उ0नि0 विवेचक तथा पी0डब्लू0–6 स्वयं पीड़िता परीक्षित हुये है।

तहरीर प्रदर्श क–1 में वादी मुकदमा शरद ने अपनी पुत्री पीडिता की उम्र घ ाटना के समय 16 वर्ष अंकित करायी है। वादी मुकदमा शरद कुमार न्यायालय के समक्ष बतौर पी०डब्लू०–1 परीक्षित हुआ है और इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में पीड़िता की उम्र 16 वर्ष बतायी है । पी0डब्लू–6 पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा व धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान में कथन किया कि वह कक्षा–12 की परीक्षा दे रही है। उसकी जन्म तिथि 01.03.2005 है। **विधि व्यवस्था जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा** यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि पीड़िता की उम्र के निर्धारण के लिये किशोर घोषित करने के लिये जो प्रकिया अपनायी जाती है, वही पीड़िता की उम्र के निर्धारण हेतु अपनायी जायेगी। किशोर न्याय अधिनियम के धारा 94 के अनुसार पीड़िता की उम्र के निर्धारण के लिये जहॉ न्यायालय के पास लाया गया व्यक्ति बालक है अथवा नहीं के बारे में सन्देह है तब न्यायालय सर्वप्रथम विद्यालय से जन्म प्रमाण पत्र या सम्बद्व परीक्षा बोर्ड से मैट्रीक या समकक्ष प्रमाणपत्र यदि उपलब्ध हो, उसको

WWW.LIVELAW.IN

देखेगा अगर वह उपलब्ध न हो तो निगम या नगर पालिका प्राधिकारी के द्व ारा या पंचायत के द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र और केवल उपरोक्त दोनों के अभाव में मेडिकल के आधार पर निर्धारण किया जायेगा। क्लाज 1, 2 व 3 के रूप में उपस्थित साक्ष्य निश्चायत्मक सबूत होगा। पी0डब्लू–5 गजेन्द्र पाल शर्मा विवेचक ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 07.04.2021 को पीड़िता की आयु के संबंध में विद्यालय का प्रधानाचार्य से लिखा कर लिया था तथा बयान अंकित किया गया। पत्रावली पर पीड़िता की उम्र के संबंध में शैक्षणिक प्रमाण पत्र, माध्यमिक विद्यालय बोर्ड द्वारा पीड़िता के नाम जारी अंक तालिका, रजिस्ट्रेशन फार्म व टी.सी. उवलब्ध है जिसे साबित करते हुए स्कूल के प्रधानाचार्य परीक्षित कराया गया है। पी0डब्लू–3 परवेन्द्र सिंह प्रधानाचार्य विश्व बन्धु एकैडमी, गजरौला अमरोहा ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देते हुए कथन किया कि पीड़िता पुत्री शरद कुमार का अभिलेख लेकर आया है। पीड़िता की सम्पूर्ण विवरण एस.आर. 2362 पर अंकित है। जिसपर पिता का नाम शरद कुमार अग्रवाल और जन्म तिथि 01.03.2005 अंकित है। पीड़िता ने कक्षा चार में दिनांक 30.03.2013 को प्रवेश लिया था और तब से लगातार उसके विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रही थी। पीड़िता वर्तमान में उसके विद्यालय की कक्षा–12 वीं की छात्रा है। पीड़िता का रजिस्ट्रेशन फार्म व एस.आर. रजिस्टर व हाई स्कूल की अंक तालिका की प्रमाणित प्रति दाखिल की गई है जिसपर क्रमशः प्रदर्श–क–4 ता 6 तथा हाई स्कूल की अंक तालिका की छाया प्रति प्रदर्श–क–7 को साबित किया। जिरह में साक्षी ने कहा कि पीड़िता ने उसके विद्यालय में कक्षा चार में किसके द्वारा प्रवेश कराया गया था उसे नहीं पता। प्रवेश फार्म के पिछले हिस्से पर पीड़िता की माता पारूल अग्रवाल के हस्ताक्षर है। पिछले विद्यालय की टी.सी. के आधार पर दाखिला हुआ था। इस प्रकार पीड़िता की आयु के सबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट, पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा, पी0डब्लू–3 परवेन्द्र सिंह प्रधनाचार्य विश्व बन्धु एकैडमी, गजरौला अमरोहा, पी0डब्लू–5 विवेचक व पी0डब्लू–6 पीड़िता के कथनो के अवलोकन से स्पष्ट है कि पीड़िता की जन्म तिथि 01.03.2005 है तथा घटना के समय उसकी आयु लगभग 16 वर्ष की है। अग्रेतर यह है कि पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम होने के सबंध में अभियुक्त की ओर से कोई भी तथ्य विपरीत तर्क अथवा सुझाव भी प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। जिस कारण पीड़िता की आयु घटना की तिथि को 18 वर्ष से कम संदेह से परे साबित है।

अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त पर यह आरोप है कि क्या उसने वादी मुकदमा की पुत्री पीड़िता उम्र 16 वर्ष को धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से कपटपूर्ण साधन प्रयोग कर उसके विधिपूर्ण संरक्षक की अनुमति के बिना बहला फुसलाकर उसके साथ विवाह करने अयुक्त संभोग करने के आशय से व्यपहरण कर, छेड़छाड़ कर लैंगिक हमला किया तथा अव्यस्क पीड़िता को उसके धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन के लिए उत्प्रेरित किया तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी

WWW.LIVELAW.IN

देकर भयक्रांत किया ?

जहॉ तक मामले के तथ्यात्मक बिन्दुओं का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में धारा 361, 363, 366 भा.दं.सं. की परिभाषा का अवलोकन करना आवश्यक है, जो इस प्रकार हैः—

धारा 361. विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण, जो कोई किसी अप्राप्तवय को यदि वह नर हो तो सोलह वर्ष से कम आयु वाले को, या यदि नारी हो तो अठारह वर्ष से कम आयु वाली को या किसी विकृतचित व्यक्ति को, ऐसे अप्राप्तवय या विकृतचित व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे अप्राप्तवय या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है, कहा जाता है ।

धारा 363. व्यपहरण के लिए दण्ड जो कोई भारत में या विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करेगा वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 366 विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री का व्यपहृत करना या उत्प्रेरित करना ''जो कोई किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरूद्व किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस स्त्री को विवश करने के आशय से या वह विवश की जाएगी, यह सम्भाव्य जानते हुए अथवा आयुक्त संभोग करने के लिए उस स्त्री को विवश या विलुब्ध करने के लिए या वह स्त्री आयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध की जाएगी यह सम्भाव्य जानते हुये करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास सेए जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा और जो कोई किसी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या वह विवश या विलुब्ध की जाएगी यह संभाव्य जानते हुए इस संहिता में यथा परिभाषित आपराधिक अभित्रास द्वारा अथवा प्राधिकार दुरूपयोग या विवश करने के अन्य साधन द्वारा उस स्त्री को किसी स्थान से जाने को उत्प्रेरित करेगा वह भी पूर्वोक्त प्रकार से दण्डित किया जायेगा।''

इस प्रकार धारा 361 भा0दं0सं0 के अधीन किसी व्यक्ति को दण्डित किये जाने के लिये यह आवश्यक है कि :—

1.किसी अव्यस्क या विकृतचित वाले व्यक्ति को ले जाने या बहला फुसलाकर ले जाना,

WWW.LIVELAW.IN

2. ऐसे अव्यस्क की आयु स्त्री की दशा में 18 वर्ष तथा पुरूष की दशा में 16 वर्ष से कम होना

3. ऐसे किसी अव्यस्क या विकृतचित व्यक्ति को उसके विधिपूर्ण संरक्षक से ले जाने या बहला फुसलाकर ले जाना तथा

4. ऐसे किसी विधिपूर्ण संरक्षक की सहमति के बिना ले जाया जाना ।

धारा 3 उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश,2020 के प्रावधान के अनुसार– कोई व्यक्ति दुर्व्यपदेशन, बल, असम्यक असर, प्रपीड़न, प्रलोभन के प्रयोग या पद्धति द्वारा या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा या विवाह द्व ारा किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अन्यथा रूप में एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तित नहीं करेगा या संपरिवर्तित करने का प्रयास नहीं करेगा और न ही किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसे धर्म संपरिवर्तन के लिये उत्प्रेरित करेगा, विश्वास दिलायेगा या षडयंत्र करेगा। धारा 5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश,2020 धारा 3 के उपबंधों के उल्लंघन करने की स्थिति में दण्ड के प्रावधान देती है।

अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त तथ्य को साबित करने हेतु तथ्य के दो साक्षी परीक्षित कराये गये है। पी0डब्लू0–1 शरद कुमार वादी मुकदमा पीड़िता के पिता को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि '' दिनांक 02.04.2021 से एक माह पहले उसकी नर्सरी में हाजिर अदालत मुल्जिम अफजल पौधे लेने आया था और उस समय उसकी पत्नी पारूल अग्रवाल व पीड़िता उम्र करीब 16 वर्ष नर्सरी में घुमने आये थे। हाजिर अदालत मुल्जिम अफजल ने अपना नाम अरमान कोहली धर्म हिन्दू बताया था और उसकी लड़की पीड़िता को बहला फुसलाकर अपना धर्म (मुस्लिम) छिपाकर हिन्दू धर्म और नाम अरमान कोहली बताते हुए शादी करने के इरादे से बहला फुसलाकर ले गया। उसकी लड़की को दिनांक 02.04.2021 को सुबह के समय बहला फुसलाकर ले गया था। उसकी लड़की पीड़िता दिनांक 04.04.2021 को दिल्ली से बरामद हुई थी। इस साक्षी ने कहा कि उसने दिनांक 02.04.2021 को तहरीर लिखकर दी थी जो पत्रावली पर मौजूद है जिसे प्रदर्श–क–1 के रूप में सिद्व किया है।

उक्त साक्षी ने जिरह में कथन किया है कि घटना के करीब एक महीने पहले अफजल उसकी नर्सरी में एक बार पेड़ पौधे लेने आया था। उसके बाद साक्षी ने अफजल को कभी नर्सरी में नहीं देखा। घटना की तहरीर जो उसने थाने पर दी वह पीड़िता के जाने के बाद व बरामदगी से पहले दी थी। तहरीर में उसने चार लोगों के बारे में बताया था जिनमें दो महिला भी थी। उसकी पुत्री पीड़िता की बरामदगी के बाद अतिरिक्त प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें पीड़िता के बताने पर अभियुक्त अफजल

WWW.LIVELAW.IN

उर्फ अरमान कोहली ही जिम्मेदार है अन्य कोई जिम्मेदार नहीं है का प्रार्थना पत्र दिया था। उसकी पुत्री पीड़िता ने उसे बताया कि अभियुक्त अफजल ने अपना नाम अरमान कोहली बताया था और कहा कि वह भोले की पूजा करता है। उसने अपना धर्म छिपाते हुए हिन्दू धर्म बताते हुए उसकी लड़की को बहला फुसला कर ले गया था। साक्षी ने तहरीर स्वयं लिखना बताया है।

इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि यह साक्षी घटना का वादी मुकदमा व पीड़िता का विधिक संरक्षक है। इस साक्षी ने अपनी तहरीर को साबित किया है। इस साक्षी के अनुसार उसकी नाबालिग पुत्री पीड़िता को अभियुक्त अफजल धर्मातरण करने के उद्देश्य से कपटपूर्ण साधन से उसके पिता की संरक्षिकता से व्यपहरण कर, अयुक्त संभोग करने के आशय से व्यपहरण किया तथा छेड़छाड़ कर लैंगिक हमला कारित कर जान से मारने की धमकी देकर भयक्रांत किया। काफी तलाश करने के बाद जब पीड़िता नहीं मिली तब उसी दिन शाम को थाने पर जाकर रिपोर्ट दर्ज करायी थी। उसकी पुत्री को अभियुक्त के साथ लगभग दो दिन बाद दिल्ली से बरामद किया गया।

पी0डब्लू0–6 पीड़िता ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है उसके पापा ग्राम सिंहाली में ही नर्सरी का कारोबार करते है। दिनांक 02.04.2021 से एक महीना पहले अफजाल उर्फ अरमान कोहली उसकी नर्सरी पर पेड़ पौधे लेने गया था। उस दिन वह अपनी मम्मी के साथ पारूल के साथ घुमने गयी थी। अफजल ने अपना नाम छिपाते हुए अरमान कोहली हिन्दू धर्म तथा शिवजी का भक्त बताया था। दिनांक 02. 04.2021 को सुबह के समय अफजल उर्फ अरमान कोहली उसे बहला फुसलाकर दिल्ली ले गया था तथा उसे धर्मातरण के उद्देश्य से दिल्ली ले गया था तथा अफजल उसके साथ अरमान कोहली के नाम से मैसेज व चैटिंग करता था। अफजल उर्फ अरमान कोहली उसका धर्म परिवर्तन कराकर शादी करना चाहता था। जिसका साक्षी ने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी तथा छेड़छाड़ भी की। रिपोर्ट उसके पापा ने लिखायी थी। बाद में उसे पुलिस ने दिल्ली से बरामद किया। पुलिस ने उसका बयान लिया था। उसकी डाक्टरी सरकारी अस्पताल में हुआ था। उक्त साक्षी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 दं.प्र.सं. को प्रदर्श क–12 के रूप में सिद्व किया है तथा उसके साथ हुयी घटना का समर्थन किया।

उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि अफजल का उसके पास स्नैप चैट पर अरमान कोहली के नाम से मैसेज आया था। मैसेज उसका घटना के एक माह पहले आया था। फिर उसके बाद उसकी बात बराबर स्नैप चैट पर चलती रहती थी। ये मैसेज का सिलसिला करीब एक माह तक चला। घटना के एक दिन पहले उसकी अभियुक्त से बात हुई थी। वह स्कूल बस से आती जाती थी। वह दिल्ली बस से गयी थी। बस में और भी सवारी मौजूद थे। उसने ड्राईवर, कन्डक्टर या अन्य सवारियों से शिकायत नहीं की थी क्योंकि वह डर गयी थी। वह

WWW.LIVELAW.IN

दिल्ली के लिए सम्भल से बैठे थे। उसने पुलिस को किस तारीख को बयान दिया यह उसे याद नहीं है। पुलिस ने तीन बार बयान लिये। पुलिस ने उसका मजीद बयान लिया था।

इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य से स्पष्ट है कि यह साक्षी मुकदमें की पीड़िता है और सबसे महत्वपूर्ण साक्षी है। उक्त साक्षी ने अपने पिता के पास विधिपूर्ण संरक्षिकता में रहना कहा है तथा इस साक्षी के अनुसार अभियुक्त अफजल उर्फ अरमान कोहली ने उसे अपना धर्म व नाम छिपाकर अरमान कोहली पूजा पाठ करने वाला बताकर उससे बातचीत करना प्रारम्भ कर दिया तथा घटना के दिन समय व स्थान से उसे बहला फुसलाकर विवाह करने के आशय से ले गया तथा उसको धर्मपरिवर्तन कराकर शादी करने का दवाब डाला और छेड़ छाड़ करते हुए लैंगिक हमला कारित किया, पीड़िता द्वारा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी।

. इस प्रकार तथ्य के साक्षीगण ने घटना के दिन, समय व स्थान से अभियुक्त द्वारा पीड़िता को बहला फुसलाकर अयुक्त संभोग करने/विवाह करने के आशय से उसके पिता के विधिपूर्ण संरक्षिकता की अनुमति के बिना ले जाकर, अपना नाम व धर्म छिपाकर स्वयं को पीड़िता का धर्म का बताकर शिवजी का भक्त बताते हुए पीड़िता से बातचीत प्रारम्भ कर दी तथा वह धर्म परिवर्तन कराकर शादी करना चाहता था तथा उसके साथ छेड़छाड़ कर लैगिंक हमला करने व जान से मारने की धमकी देने के तथ्य को साबित किया है। बचावपक्ष द्वारा की गयी जिरह में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया जिससे तथ्य के साक्षीगण की साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके। वह घटना के समय अपनी पिता के साथ रहती थी। पीड़िता हिन्दू धर्म की है व अभियुक्त अफजल मुसलमान है। घटना 2021 की है। पीड़िता दिनांक 04.04.2021 को दिल्ली से बरामद की गई। थाने में उसका बयान हुआ था और उसका डाक्टरी मुआयना अस्पताल में हुआ था। डाक्टरी हो जाने के बाद उसका बयान मजिस्ट्रेट महोदय ने बंद कमरे में लिया था। उक्त साक्षी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 दं. प्र.सं. को प्रदर्श क–12के रूप में सिद्व किया है । पीड़िता ने अपने बयान धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान में भी कथन किया है कि दिनांक 02.04.2021 को नर्सरी में घुमते हुए पीछे से एक लड़का आया और उसने अपना नाम अरमान कोहली बताया । वो उससे बातें करने लगा और उसे बहला फुसलाकर गजरौला ले गया। वहॉ से उसे सम्भल ले गया और दिनांक 04.04.2021 तक दिल्ली में रखा तथा पीड़िता ने अपने बयान धारा 161 दं0प्र0सं0 में भी अभियुक्त अफजल द्वारा उसे अपना नाम बदलकर अरमान कोहली के नाम बातचीत करना व उसे बहला फुसला कर गजरौला, सम्भल ले जाना तथा उसपर धर्मपरिवर्तन कराकर शादी करने का दवाब डालना,छेड़छाड़ करना व जान से मारने की धमकी देने का कथन किया है।

पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक डा0 पल्लवी गंगवार को पी0डब्लू0–4 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिसने दिनांक 05.04.2021 को

WWW.LIVELAW.IN

पीड़िता के शरीर का चिकित्सकीय परीक्षण करना बताया है तथा वाह्य परीक्षण की सहमति लिखाकर व हस्ताक्षर कराकर व निशानी अंगूठा लगाकर ली गई। सामान्य परीक्षण में वक्ष स्थल विकसित थे। योनि व बगल की बाल मौजूद थे। वाह्य परीक्षण में पीड़िता के पीछे कन्धे पर नीलगू निशान खरोंच **3X1** से0मी0 मौजूद था। सीधे वक्ष के उपर खरोंच का निशान **2X1.2** से0मी0 मौजूद था। एक नीला नीलगू निशान नाभि के पास सीधी तरफ **2.4X1.1** से0मी0 मौजूद था। एक सीधी जॉघ पर खरोंच का निशान **3.9** से0मी0 लम्बाई के आकार में मौजूद था। इस साक्षी के अनुसार चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर छेड़छाड़ किये जाने के तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है। उक्त साक्षी ने मेडिकल रिपोर्ट को प्रदर्श क'–8 के रूप में साबित किया है।

उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि उक्त चोट नाखून के खुजलाने से या लकड़ी लग जाने से चोट आ सकती है। चोट सं0 2 ,3 व 4 नाखून के खुजलाने पर भी आ सकती है। पीड़िता उसके पास सामान्य अवस्था में आयी थी। परीक्षण के समय पीड़िता के शरीर पर कोई ताजा चोट नहीं पाई गई थी।

इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य से स्पष्ट है कि इस साक्षी द्वारा पीड़िता के शरीर का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया है तथा उसके अनुसार पीड़िता के शरीर पर साधारण प्रकृति की चोटें पायी गयी थी। इस साक्षी के अनुसार चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर छेड़छाड़ किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार चिकित्सक साक्ष्य से भी पीड़िता के साथ हुई घटना का समर्थन होता है।

प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना करने वाले विवेचक गजेन्द्र पाल को पी0डब्लू0–5 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिसने अपने सशपथ बयान में उक्त मुकदमें की विवेचना करना तथा वादी मुकदमा का बयान अंकित करना तथा वादी मुकदमा की निशांनदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शानजरी तैयार करना बताया है तथा गवाहान व पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. अंकित करना तथा पीड़िता को चिकित्सकीय परीक्षण कराये जाने हेतु भेजा जाना तथा चिकित्सकीय रिपोर्ट केसडायरी में अंकित करना एवं गवाहान के बयान के पश्चात प्रर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोपपत्र अपने लेख व हस्ताक्षर में प्रेषित करना बताया है। उक्त साक्षी ने नक्शानजरी को प्रदर्श क–9, फर्द प्रदर्श–क–10 एवं आरोपपत्र को प्रदर्श क–11 के रूप में सिद्व किया है।

. इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य से स्पष्ट है कि यह साक्षी मुकदमें का विवचेक है, जिसके द्वारा मौके का मुआयना करके नक्शानजरी तैयार किया गया तथा पीड़िता को अभियुक्त के साथ दिल्ली से बरामद करना तथा गवाहो के बयान के पश्चात पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोपपत्र प्रेषित किया गया है।

अभियोजन की ओर से अभियुक्त के विरूद्व आरोपों को साबित करने हेतु तथ्य के साक्षीगण के रूप में पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–6 को प्रस्तुत किया गया है तथा कुल छः साक्षीगण परीक्षित किया है पी0डब्लू0–1 वर्तमान प्रकरण में वादी मुकदमा तथा

WWW.LIVELAW.IN

पीड़िता के पिता है। अभियुक्त की ओर से मौखिक बहस करते हुये पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य में विरोधाभाष बताते हुये तथा अभियुक्त ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में उसे रंजिशन झूंठा फंसाये जाने का कथन करते हुए दोषमुक्त की प्रार्थना की है।

अभियोजन कथानक के अनुसार पीड़िता ने कथन किया है कि घटना दिनांक 02.04.2021 की है। दिनांक 02.04.2021 को सुबह के समय अफजल उर्फ अरमान कोहली उसे बहला फुसलाकर दिल्ली ले गया था तथा उसे धर्मातरण के उद्देश्य से दिल्ली ले गया था तथा अफजल उसके साथ अरमान कोहली के नाम से ही मैसेज व चैटिंग करता था। अफजल उर्फ अरमान कोहली उसका धर्म परिवर्तन कराकर शादी करना चाहता था। जिसका विरोध पीड़िता ने किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी तथा उसके साथ छेड़छाड़ भी की थी।

धर्मांतरण कानून में कहीं भी निषिद्व नहीं है हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने व अपनाने का अधिकार है। यह एक संवैधानिक अधिकार है, परन्तु दुर्व्यपदेशन, बल, असम्यक असर, प्रपीड़न, प्रलोभन द्वारा या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन कराना प्रतिषेधित है तथा दण्डनीय है। उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 में कपटपूर्ण साधन से अभिप्राय किसी प्रकार का प्रतिरूपण, मिथ्या नाम उपनाम धार्मिक प्रतीक या प्रतिरूपण किया जाना सम्मिलित है। विधि विरूद्व तरीके से किसी भी व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक क्षेत्र में अतिक्रमण करना उसके व्यक्तित्व के साथ खिलवाड़ करना है। प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा एवं जिरह में पीड़िता को बहला फुसलाकर अयुक्त संभोग करने/विवाह करने के आशय से उसके पिता के विधिपूर्ण संरक्षिकता की अनुमति के बिना ले जाकर, कपट पूर्ण साधन से अपना नाम व धर्म छिपाकर स्वयं को पीड़िता का धर्म का बताकर शिवजी का भक्त बताते हुए पीड़िता से बातचीत प्रारम्भ कर नजदीकी बढ़ा लेने तथा वह धर्म परिवर्तन कराकर विवाह करने हेतु उत्प्रेरित करना तथा उसके साथ छेड़छाड़ कर लैगिंक हमला करने व जान से मारने की धमकी देने के तथ्य को साबित किया है।

अभियुक्त की ओर से मुख्यतः पीड़िता के शरीर पर कोई चोट का निशान न होना तथा पीड़िता द्वारा उसके साथ छेड़छाड या धर्मातरण का अपराध को साबित न कर पाने के आधार पर दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है। इस सबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी पी0डब्लू–4 डॉ0 पल्लवी गंगवार ने पीड़िता के बरामद होने के बाद चिकित्सीय परीक्षण किया गया जिसमें पीडिता के शरीर पर वाह्य परीक्षण में पीड़िता के शरीर पर नीलगू निशान खरोंच मौजूद होना तथा चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श–क–8 साबित किया है। इस प्रकार वर्तमान

WWW.LIVELAW.IN

प्रकरण में पीड़िता के शरीर पर उक्त चोट पाये गये तथा चिकित्सक साक्षी ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की घटना की संभावना से इंकार नहीं किया है। ऐसे में बचाव पक्ष के इस तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है कि पीड़िता के शरीर पर कोई चोट नहीं पाये गये।

पी0डब्ल्यू0 6 पीडिता घटना की महत्वपूर्ण साक्षी है और इसी साक्षी के साथ अन्य धर्म के मानने वाले व्यक्ति द्वारा अपना धर्म व नाम छिपाकर अपना गलत पहचान बताकर नाबालिग पीड़िता के साथ उसे धोखे में रखकर बातचीत व नजदीकियां बढ़ाकर उसे बहला फुसलाकर ले जाकर उसका धर्म परिवर्तन कर निकाह/ विवाह का दवाब बनाते हुए छेड़छाड़ , लैंगिक हमला व जान से मारने की धमकी देने की घ ाटना कारित हुई है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में जिस प्रकार के कथन अपने साथ हुई घटना के संबंध में किये हैं, वह बहुत ही स्वाभाविक एवं विश्वसनीय हैं और इस साक्षी ने अपने बयान में घटना का दिनांक, समय व स्थान को स्पष्ट रूप से बताया है तथा अभियुक्त द्वारा उसे अन्य धर्म के मानने वाले व्यक्ति अभियुक्त द्वारा अपना धर्म व नाम छिपाकर अपना गलत पहचान बताकर नाबालिग पीड़िता के साथ बातचीत व नजदीकियां बढ़ाकर उसे बहला फुसलाकर ले जाकर उसका धर्म परिवर्तन कर निकाह/ विवाह का दवाब बनाते हुए छेड़छाड़, लैंगिक हमला व जान से मारने की धमकी देने कथन को साबित किया है। अभियोजन साक्षीगण के कथनों से घटना के दिनांक समय व स्थान एवं अभियुक्त की शिनाख्त के संबंध में कोई सारवान विरोधाभास बचाव पक्ष की प्रतिपरीक्षा में नहीं निकल सका है। पीड़िता का बयान स्वाभाविक एवं विश्वसनीय है। पीड़िता द्वारा अपने साथ हुई घटना का स्पष्ट चित्रण अपने साक्ष्य में किया गया है। अतः पीड़िता के एकल बयान के आधार पर अभियुक्त की दोष सिद्धि की जा सकती है।

आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन पक्ष को अपना केस युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना है परन्तु लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 29 में इस अधिनियम के अधीन कारित अपराधो के सम्बन्ध में उपधारणा किये जाने का प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 29 इस प्रकार है :–

''जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने या दुष्प्रेरण करने या उसको करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया गया है। वहां विशेष न्यायालय तब तक यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने, यथास्थिति, वह अपराध किया है, दुष्प्रेरण किया है या उसको करने का प्रयत्न किया है जब तक कि इसके विरूद्ध साबित नहीं कर दिया जाता है। ''

इस अधिनियम की धारा 30 में आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा किये जाने का प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 30 इस प्रकार है कि '' *इस*

WWW.LIVELAW.IN

अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में, जो अभियुक्त की ओर से आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है, विशेष न्यायालय ऐसी मानसिक दशा की विद्यमानता की उपधारणा करेगा, किन्तु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में किसी अपराध के लिए आरोपित कृत्य के सम्बन्ध में उसकी ऐसी मानसिक दशा नहीं थी। ''

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया, कि अभियुक्त को रंजिशन झूठा फँसाया गया है, किन्तु बचावपक्ष की ओर से इस सबंध में अभियोजन साक्षियों से कोई जिरह नहीं की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण चक्षुदर्शी साक्ष्य पर आधारित है, जिसमें पीडिता ने अभियुक्त द्वारा उसके साथ अन्य धर्म के मानने वाले व्यक्ति द्वारा अपना धर्म व नाम छिपाकर अपना गलत पहचान बताकर नाबालिग पीड़िता के साथ बातचीत व नजदीकियां बढ़ाकर उसे बहला फुसलाकर ले जाकर उसका धर्म परिवर्तन कर निकाह/ विवाह का दवाब बनाते हुए छेड़छाड़ , लैंगिक हमला व जान से मारने की धमकी देने का स्पष्ट साक्ष्य दिया है। रंजिश एक दोधारी तलवार होता है, जिसमें किसी व्यक्ति को झूठा फँसाया जा सकता है और अपराध भी कारित किया जा सकता है। न्यायालय उक्त तर्क में कोई बल नहीं पाता है। प्रस्तुत प्रकरण में पीडिता ने स्वयं रूबरू न्यायालय आकर शपथ पर उसने कहा है कि उसके साथ अभियुक्त अभियुक्त द्वारा उसके साथ अन्य धर्म के मानने वाले व्यक्ति द्वारा अपना धर्म व नाम छिपाकर अपना गलत पहचान बताकर नाबालिग पीड़िता के साथ बातचीत व नजदीकियां बढ़ाकर उसे बहला फुसलाकर ले जाकर उसका धर्म परिवर्तन कराकर निकाह/विवाह का दवाब बनाते हुए छेड़छाड़, लैंगिक हमला व जान से मारने की धमकी दिया। प्रस्तुत प्रकरण में बचाव पक्ष द्वारा वादी से कोई प्रत्यक्ष रंजिश नहीं दर्शायी गयी है, अतः बचाव पक्ष का रंजिश का तर्क बलहीन है ।

अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में घटना के दिनांक व समय पर घटना स्थल से अन्यत्र उपस्थित होने का बचाव लिया गया है, यह बचाव भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में सुसंगत है तथा इसे विधिक भाषा में Plea of alibi के नाम से परिभाषित किया गया है तथा इस आधार पर लाभ लेने के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त अपनी स्वयं की अन्यत्र उपस्थिति इस प्रकार साबित करे, कि उसके द्वारा अपराध का किया जाना यदि असंभव नहीं हो तो , अनाधिसंभाव्य हो Plea of alibi सन्देह से परे साबित करने का पूर्ण भार अभियुक्त पर है। अभियुक्त का घटना के दिनांक, समय व स्थान पर उसकी उपस्थिति अन्यत्र सन्देह से परे साबित करने का भार अभियुक्त पर है ।

अभियुक्त की ओर से घटना के दिनांक, समय पर उसकी उपस्थिति सम्भल में होने के सम्बन्ध में मौखिक साक्ष्य में दो साक्षीगण परीक्षित कराया है डी0डब्लू–1 मौहम्मद फैजान ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देते हुए कथन किया कि '' उसका व

www.LIVELAW.IN

अफजल के घर की दूरी 50 मीटर है। अफजल लकड़ी का काम करता है। दिनांक 02.04.2021 को अफजल अपने कारखाने में कार्य कर रहा था। यह कारखाना अफजल के घर से 100 मीटर की दूरी पर है। अफजल कारखाने में किराये पर काम करता है। अफजल दिनांक 03.04.2021 को भी अपने घर पर ही था। उसने स्वयं देखा था। दिनांक 02.04.2021 व 03.04.2021 को अफजल के साथ किसी लड़की को नहीं देखा था। अफजल को झूठे मुकदमें में फंसाया गया है। अफजल शुरू से ही लकड़ी का कार्य करता रहा है। अफजल किसी की गाड़ी किराये पर नहीं चलाता था। सम्भल में अफजल को अफजल के नाम से ही जाना जाता है किसी और नाम अरमान कोहली के नाम से नहीं जाना जाता है। समाज में अफजल का चाल चलन व चरित्र अच्छा है।

जिरह में इस साक्षी ने कहा कि अफजल उसका पड़ोसी है और उसका खास भी है। अफजल कब कहॉ पर जाता था उसे जानकारी नहीं है। उसे बताकर नहीं जाता था। अफजल दिन व रात में उसकी गैर मौजूदगी में किसी से मोबाईल पर बात व चैटिंग करता था या नहीं, और किस नाम से करता था उसे इन सबके बारे में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को बयान देने के लिए अफजल लेकर आया है। अफजल, लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने, छेड़छाड़ करने, अपना असली नाम छिपा कर अपना दूसरा नाम बताने व धर्म छिपाते हुए के मुकदमें में कितने दिन जेल में रहे, उसे जानकारी नहीं है पर जेल में रहा है। अफजल ने अपना नाम अरमान कोहली कहॉ और किसको बता रखा था उसे इसकी जानकारी नहीं है। अफजल उर्फ अरमान कोहली के नाम से लड़की के साथ सीलमपुर थाना उस्मानपुर ब्रहमपुरी दिल्ली में किसी तारीख को पकड़े गये। उसे जानकारी नहीं है। वह अपना कारोबार करता है। वह भी कारोबार के संबंध में घूमने फिरने चला जाता है और अफजल भी कारोबार के संबंध में घूमने फिरने चला जाता रहता है। सुझाव पर किये गये प्रश्न के जवाब में साक्षी ने कहा कि यह कहना सही है कि अफजल उसका पड़ोसी व खास होने के कारण वह बयान दे रहा है और वह चाहता है कि अफजल के खिलाफ कोई कार्यवाही ना हो। यह कहना भी सही है कि अफजल जिस लड़की को बहला फुसलाकर ले गया था वह दूसरे धर्म की थी।

डी0डब्लू–2 महमूद हसन ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देते हुए कथन किया कि वह और अफजल लकड़ी का कार्य करते हैं और दोनों के घर की दूरी 200–250 मीटर है। दिनांक 02.04.2021 को अफजल अपने कारखाने में कार्य कर रहा था। अफजल का कारखाना उसके घर से 100 मीटर की दूरी पर है। अफजल दिनांक 03.04.2021 को अपने घर पर ही था। अफजल कारखाने में मजदूरी का कार्य करता है। उसने दिनांक 02.04.2021व 03.04.2021 को अफजल के साथ किसी लड़की को नहीं देखा था। अफजल शुरू से लकड़ी का कार्य करता है। अफजल कोई गाड़ी किराये पर नहीं चलाता है। अफजल सम्भल में अफजल के नाम से ही जाना जाता है अन्य

WWW.LIVELAW.IN

किसी नाम से नहीं जाना जाता है।

जिरह में साक्षी ने कहा कि जिस मुकदमें में वह गवाही देने आया है उस मुकदमें में अफजल गैर समुदाय की पीड़िता को बहला फुसलाकर ले जाने व धर्मातरण का मुकदमा है। साक्षी अफजल व उसके भाई के साथ बयान देने आया है। जब वह अफजल के पास नहीं होता है तब अफजल अपना क्या नाम व धर्म बताकर किस लड़की से चैटिंग करता है उसे जानकारी नहीं है। अफजल इस मुकदमें में कितने दिन तक जेल में रहा उसे जानकारी नहीं है। उसका कारोबार अफजल के साझे में नहीं है। अफजल उसका पड़ोसी है। मुहल्ले के हिसाब से अफजल से उसके अच्छे संबंध है। अफजल इस मुकदमें की पीड़िता के साथ थाना उस्मान ब्रहमपुरी दिल्ली में अरमान कोहली के नाम से पकड़े गये थे या नहीं उसे जानकार नहीं है। उसे जानकारी नहीं है कि अफजल ने अपना नाम अरमान कोहली तथा शिव जी का भक्त बताया था। साक्षी अफजल के कहने से बयान देना कहा है। अफजल दिल्ली में काम करता है। अफजल दिल्ली आता जाता रहता है। साक्षी चाहता है कि अफजल पर कोई कार्यवाही ना हो।

इस प्रकार बचाव साक्षीगण के अनुसार अभियुक्त घटना के दिन अपने कारखाने पर काम कर रहा था तथा उसे किसी लड़की के साथ उनके द्वारा नहीं देखा गया , किन्तु इन साक्षीगण ने अपनी जिरह में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि अभियुक्त, बचाव साक्षीगण के पड़ोसी हैं तथा उनके अच्छे संबंध है तथा अभियुक्त के कहने पर न्यायालय में साक्ष्य देने आये हैं। इन साक्षीगण ने अभियुक्त का किसी से बातचीत करने चैंटिग करने, व किसी अन्य नाम से चैंटिंग करने की जानकारी के तथ्य से इंकार किया है तथा अभियुक्त का पीड़िता के साथ पकड़े जाने व अभियुक्त के कारोबार के लिए किसी अन्य स्थान पर आने जाने के संबंध में जानकारी न होना कहा है साथ ही यह भी कहा है कि अभियुक्त के खिलाफ वे कोई कार्यवाही न हो ऐसा चाहते हैं। बचाव पक्ष द्वारा अभियुक्त के जिला सम्भल में उपस्थिति के सम्बन्ध में मात्र कथन किया गया है किन्तु उसे किसी ठोस साक्ष्य से साबित नहीं कराया गया है न ही इन साक्षीगण द्वारा दौरान विवेचना विवेचक को ऐसा कोई साक्ष्य दिया गया है और न ही इस संबंध में किसी उच्चधिकारियों को कोई पत्र प्रेषित किया गया कि अभियुक्त को झूंठा फंसाया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी व पीड़िता द्वारा अभियुक्त द्वारा नाबालिग पीडिता को अपना नाम व धर्म छिपाकर पीड़िता के धर्म का बताकर कपटपूर्ण साधन से उससे बातचीत कर नजदीकियां बढ़ाकर उसे बहला फुसलाकर उसके पिता की विधिक संरक्षिकता से बिना उसकी अनुमति के धर्मांतरण कराकर विवाह करने हेतु दिल्ली ले जाया गया है तथा उसके साथ छेडछाड कर लैंगिक हमला कारित कर धर्म परिवर्तन के लिए उत्प्रेरित किया गया तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई है, के सम्बन्ध में स्पष्ट साक्ष्य से साबित किया है तथा पुलिस द्वारा दौरान विवेचना पीड़िता को दिल्ली से अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया है।

WWW.LIVELAW.IN

चिकित्सक साक्षी ने पीड़िता के शरीर पर चोट आना साबित किया है।

अतः पीडिता के बयान में आये तथ्यों पर कोई अविश्वास किये जाने का औचित्य नहीं है। इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त अफजल के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 363,366,354,506 भा०दं०सं० व धारा 7 सपठित धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 व धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश,2020 के अपराध संदेह से परे बखूबी साबित हैं।

इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन व पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य के परिशीलन से अभियुक्त अफजल आरोपित आरोप अंतर्गत धारा 363,366,354,506 भा०दं०सं० व धारा 7 सपठित धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम,2012 व धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 के आरोपों के अधीन दोष सिद्ध किये जाने योग्य है ।

अभियुक्त अफजल इस मामले में जमानत पर है। अतः अभिरक्षा में लिया जाये।

अभियुक्त अफजल को अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्त के जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा उसके प्रतिभूगण उक्त दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अतः अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली दिनांक 17.09.2022 को पेश हो। अभियुक्त को जिला कारागार मुरादाबाद से नियत तिथि को तलब हो।

दिनांकः—16.09.2022

(डॉ0 कपिला राघव)
Id. No:- UP-2178
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,(पॉक्सो एक्ट) प्रथम,
जिला—अमरोहा।

दिनांक 17.09.2022

आज यह पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पेश हुई। अभियुक्त अफजल जेल से उपस्थित। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित आये।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियुक्त को सुना। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अभियुक्त की उम्र 25 वर्ष नवयुवक है । उसके परिवार में कोई नहीं है तथा उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है । वह एक गरीब व्यक्ति है। उसका प्रथम अपराध है। अतः उसे न्यूनतम दण्ड से दंडित कर दिया जाये।

विद्वान विशेष अभियोजन अधिकारी का यह कहना है कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की अल्प वयस्क पुत्री पीडिता को कपटपूर्ण साधन से धर्मातरण कराने के उद्देश्य से वादी की विधिपूर्ण संरक्षिकता के बिना अनुमति के बहला फुसलाकर अयुक्त संभोग करने/विवाह करने के आशय से ले जाकर छेड़छाड़ कर लैंगिक हमला कारित किया तथा अव्यस्क पीड़िता को उसके धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन के लिए उत्प्रेरित किया तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देकर भयक्रांत किया।

WWW.LIVELAW.IN

अतः उसे कठोरतम दण्ड से दंडित किया जाये ।

सुना व पत्रावली का पुनः परिशीलन किया ।

अभियुक्त अफजल द्वारा वादी मुकदमा की अव्यस्क पीडिता को कपटपूर्ण साधन से धर्म परिवर्तन कराने के उदेश्य से उसकी संरक्षिकता से व्यपहरण कर शादी का प्रलोभन देकर व्यपहृत किया तथा उसके साथ छेड़छाड़ कारित करने व पीड़िता के के धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन करने के लिए उत्प्रेरित करने व विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देकर भयक्रांत किया। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा कारित कृत्य धारा 7 सपठित धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 व धारा 363,366,354,506 भा०दं०सं० के तहत दण्डनीय व समाज के प्रति गंभीर अपराध है।

अभियुक्त द्वारा पीडिता के साथ लैंगिक हमला, करते हुए छेड़छाड़ का कृत्य कारित किया गया है, यह ऐसा अपराध रहा है, जो घिनौना कृत्य है जिससे समान में गलत संदेश जाता है और ऐसे ही अपराधियों के कारण महिलाओं व बच्चियों का सड़क पर निकलना दुर्भर हो गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्व विरचित किये गये आरोप धारा 354 भा०दं०सं० व धारा 7 सपठित धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत भी दोष सिद्ध किया गया है, अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त को एक अपराध के लिए दंडित करते हुए दोनों धाराओं में दण्डित ना किया जाये। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की अव्यस्क पुत्री पीडिता के साथ छेड़छाड़ कर लैंगिक हमला कारित किया गया। अभियुक्त को धारा 354 भा0दं0सं0 व धारा **7/8** लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत दण्डित किया जाना उचित व न्यायसंगत नहीं होगा, क्योंकि इसका अर्थ यह होगा कि अभियुक्त को अपने एक कृत्य के लिए दो दण्ड भुगतने पड़ेगे जो कि विधि की मंशा के विपरीत है। धारा 42 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 यह प्रावधानित करती है कि अगर अभियुक्त को भा.दं.सं. की धारा 166क, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 370, धारा 370क, धारा 375, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ग, धारा 376 घ, धारा 376ड, या धारा 509 के अधीन तथा पाक्सो अधिनियम के अधीन दोषी पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त को उस दण्ड से दंडित किया जायेगा,जो पाक्सो अधिनियम के अधीन या भा0दं0सं0 के अधीन मात्रा में गुरूतर है। धारा 42–क लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 यह प्रावधानित करती है कि इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में और किसी असंगति की दशा में इस अधिनियम के उपबंधों का उस असंगति की सीमा तक ऐसी किसी विधि के उपबंधों पर अध्यारोही प्रभाव होगा। प्रस्तुत प्रकरण की घटना वर्ष 2021 की है। अभियुक्त द्वारा

WWW.LIVELAW.IN

अवयस्क पीडिता के साथ छेड़छाड़ कर लैंगिक हमला कारित किया है, जिसके लिए धारा 354 भा0दं0सं0 के तहत दण्ड का प्रावधान है। धारा 354 भा0दं0सं0 में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि धारा 354 भा0दं0सं0 के तहत अभियुक्त को दोनो में से किसी भांति के जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु पॉच वर्ष तक की हो सकेगी से दण्डित किया जायेगा और जो जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, जब कि धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में यह प्रावधानित है कि जो कोई लैंगिक हमला कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु पॉच वर्ष के हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा। चूंकि पोक्सो अधिनियम की धारा 7 में वर्णित लैंगिक हमले के अपराध के लिए धारा 8 के तहत न्यूनतम तीन वर्ष के कारावाससे पॉच वर्ष तक की हो सकेगा और जुर्माने से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। जो धारा 354 भा0दं0सं0 से गुरूत्तर है। पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत इस अधिनियम का अन्य विधि के अल्पीकरण में ना होना का प्रावधान है। प्रकरण विशेष अधिनियम से संबंधित है जिसे लैंगिक हमले के अपराधों से बालकों के संरक्षण हेतु निमित्त किया गया है, तथा धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में भा0दं0सं0 के धारा 354 *की तुलना में* मात्रा में गुरूत्तर दण्ड का प्रावधान है तथा धारा 354 भा0दं0सं0 व धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का अपराध का एक प्रकार है। चूँकि प्रस्तुत प्रकरण एक अव्यस्क पीड़िता के साथ लैंगिक हमले का है और प्रस्तुत प्रकरण का विचारण विशेष अधिनियम के तहत किया जा रहा है। न्यायालय के विचार में चूँकि धारा 354 भा0दं0सं0. व धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एक ही अपराध है तथा धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 में गुरूत्तर दण्ड का प्रावधान है एवं अभियुक्त को एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रकरण में अभियुक्त को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 7/8 के तहत ही निर्धारित दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा, न कि धारा 354 भा०दं०सं० के तहत।

प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त अफजल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के अन्तर्गत तीन वर्ष के सश्रम कारावास व 3,000/–रू0 तीन हजार रूपये का अर्थ दण्ड व धारा 366 भा.दं.सं के अंतर्गत पॉच वर्ष के सश्रम कारावास व अंकन 7,000/– सात हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा 506 भा.दं.सं के अन्तर्गत दो वर्ष के सश्रम कारावास व धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के लिए तीन वर्ष सश्रम कारावास व 5000/–रू0 के अर्थदण्ड से व धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश,2020 के अपराध के लिए तीन वर्ष के सश्रम कारावास व 25,000/–रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उददेश्य की पूर्ति हो जायेगी।

आदेश

अभियुक्त अफजल को उसके सिद्ध दोष अपराध धारा 363 भा.दं.सं. के लिये तीन वर्ष के सश्रम कारावास व 3,000/–रू0 (तीन हजार रूपये) का अर्थ दण्ड ,

www.LIVELAW.IN

अर्थ दण्ड अदा ना करने की स्थिति में अभियुक्त एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा। धारा 366 भ0दं0सं0 के अपराध के लिए पॉच वर्ष के सश्रम कारावास एवं अंकन 7,000/– (सात हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, जिसे अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा। धारा 506 भा.दं.सं के अन्तर्गत दो वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया जाता है, व धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के लिए तीन वर्ष सश्रम कारावास व 5000/–रू0 (पॉच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, जिसे अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा व धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश,2020 के अपराध के लिए तीन वर्ष के सश्रम कारावास व 25,000/–रू0 (पच्चीस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, जिसे अदा न करने की स्थिति में अर्थ दण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 6 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।

अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देय होगी।

अभियुक्त के द्वारा इस मामले में जेल में बिताई गयी अवधि उसकी इस सजा की अवधि में नियमानुसार समायोजित की जावेगी।

समस्त सजायें साथ साथ चलेंगी।

दण्डादेश के अनुरूप सजायावी वारण्ट बनाकर उसे दण्डादेश के अनुपालनार्थ जिला कारागार प्रेषित किया जावे।

निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क अविलम्ब प्रदान की जाये।

दिनांकः–17.09.2022

(डॉ0 कपिला राघव)
Id. No:- UP-2178
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,(पॉक्सो एक्ट) प्रथम,
जिला–अमरोहा।

आज यह निर्णयादेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांकः–17.09.2022

(डॉ0 कपिला राघव)
Id. No:- UP-2178
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,(पॉक्सो एक्ट) प्रथम,
जिला–अमरोहा

WWW.LIVELAW.IN

WWW.LIVELAW.IN